जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने को हुई व्यवस्था

सड़क के लिए जमीन देने पर ऑनलाइन भुगतान

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सड़क के लिए जमीन देने वाले किसानों को भुगतान के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब पैसा सीधे उनके खाते में चला जाएगा। साथ ही भूअर्जन की अधिसूचना भी ऑनलाइन जारी होगी। राष्ट्रीय उच्च पथों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है।

पथ निर्माण मंत्रालय ने राज्य के अधिकारियों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को ट्रेनिंग की व्यवस्था की। पथ निर्माण मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनिंग में राज्यभर के भूअर्जन से जुड़े अधिकारी आए थे। ट्रेनिंग देने के लिए मंत्रालय के तकनीकी निदेशक मंसूर उल हक, अवर सचिव सरजीत दत्ता और भूअर्जन सलाहकार बीपी खरे भी पटना आए थे। केन्द्र के अधिकारियों ने भूअर्जन से जुड़े अधिकारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी दी।

श्री कुमार ने बताया कि अब पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। इससे समय की तो बचत होगी ही, किसानों को भुगतान भी समय पर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अपनाने में सालभर का समय लग जाता था। अब नई तकनीक के यह काम तीन महीने में हो जाएगा। इसके अलावा भुगतान के लिए किसानों को बाबुओं की चिरौरी करनी पड़ती थी। अब उन्हें सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैसा सीधे उनके खाते में भेज दिया जाएगा।

पथ निर्माण मंत्रालय

- केन्द्र के अधिकारियों ने दी राज्य के अफसरों को प्रशिक्षण
- ट्रेनिंग में राज्यभर के भूअर्जन से जुड़े अधिकारी आए थे
- तीन महीने में जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी